तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6947/2006/सिरोही **प्रेमसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री माधवराज के ब्रीफ होल्डर श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री शौकिन्दलाल गुर्जरी, उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः–26.07.2022

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण सं0 01/2006 उनवानी प्रेमसिंह बनाम सरकार में पारित किए गए निर्णय दिनांक 09.05.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत आराजी खसरा संख्या 150 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 151 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 154 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 166 रकबा 4 बिस्वा व खसरा नंबर 167 रकबा 2 बिस्वा बाबत् सहायककलक्टर, आबू पर्वत के न्यायालय में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आराजी वादीगण केखसरा संख्या 171, 174, 169/475, 165, 170, 156, 172 व 153 के मध्य आई हुई है व आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर चला आ रहा है । उक्त आराजियात वादीगण की खातेदारी आराजियात के मध्य आने के कारण उक्त आराजियात वादीगण को ही नियमन किया जाना आवश्यक था किन्तु उक्त आराजियात को गलत तौर पर सिवायचक दर्ज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6947/2006/सिरोही **प्रेमसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर दिया गया है तथा उक्त इंद्राज के आधार पर पटवारी हल्का वादीगण को नाजायज परेशान करता है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण को आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 150, 151, 154, 166 व 167 का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करे । सहायक कलक्टर, आबू पर्वत ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2003 द्वारा वादीगण का वाद निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय के समक्ष पेश की गई जो निर्णय दिनांक 28.11.2005 को निरस्त की गई । इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने निर्णय दिनांक 09.07.2006 से खारिज कर दिया । राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2007 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है । उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी–निगरानीकर्ता ने बहस में कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय कानून, तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायलायों ने वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर गौर किये बिना वाद निरस्त करने में अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया है । राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने प्रार्थीगण की नजरसानी केवल मात्र शपथ पत्र प्रस्तुत न करने के कारण निरस्त करने में भूल की है जबकि शपथ पत्र की कमी–पूर्ति बाद में भी की जा सकती है । इसके अतिरिक्त राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मियाद बाहर होना मानने में भूल की है जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का निर्णय दिनांक 28.11.2005 को पारित हुआ है व प्रार्थीगण ने दो माह से भी पूर्व में दिनांक 17.01.2006 को ही नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था । राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के थर्ड शिड्यूल के तहत नजरसानी प्रस्तुत करने की मियाद 6 माह दर्ज है । इसके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6947/2006/सिरोही **प्रेमसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बावजूद राजस्व अपील प्राधिकारी ने नजरसानी मियाद बाहर मानकर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 28.11.2005 में प्रार्थीगण का कब्जा स्पष्टतया आराजी मुतनाजा पर 43 वर्षो से भी अधिक समय का होना माना है जिसके आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी तौर पर वादीगण को केवल अतिक्रमी दर्ज होने के कारण वादीगण का वाद मुखालफाना कब्जे के बाबत् विचार किए बिना निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रदर्श–7 नोटिस धारा 91 दिनांक 7.9.1977 पेश किया जिससे वादीगण का विवादित आराजियात पर पुराना कब्जा काश्त सिद्ध होता था । अपीलीय न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वादीगण का वाद एवं नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.5.2006 एवं दिनांक 28.11.2005 एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.2003 निरस्त किये जावे तथा वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे । विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित नहीं किया है कि उसका कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय से लगातार चला आ रहा हो । इसके अभाव में वादीगण को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार अर्जित नहीं होते है । वादीगण के विरूद्ध समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है जिससे उनका निरन्तर कब्जा काश्त होना भी प्रमाणित नहीं होता है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिसम्मत् रूप से वादीगण/प्रार्थीगण का वाद, अपील एवं नजरसानी प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6947/2006/सिरोही **प्रेमसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, आबू पर्वत ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2003 से वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 151, 154, 166, 167 के क्रम में प्रस्तुत वाद बाबत् खातेदारी दिये जाने को तनकीयात कायम कर साक्ष्य, सबूतों का विवेचन करते हुए प्रमाणित नहीं पाये से खारिज किया है । सहायक कलक्टर, आबू पर्वत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपील को निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2005 द्वारा खारिज किया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलांट/प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो निर्णय दिनांक 09.05.2006 से खारिज किया गया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा अपने वाद की प्रमाणिकता को पुष्ट करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज यथा निरन्तर कब्जे काश्त की पुष्टि में खसरा गिरदावरियां, जमाबंदी इत्यादि पेश नहीं किए है, जिनके अभाव में वादी के अभिकथनों की प्रमाणिकता पुष्टि नहीं की जा सकती है । इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, के अवलोकन से उपरोक्त खसरा नंबरान की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ अंकित होना साबित है जिस पर पर खातेदारी दिया जाना विधि द्वारा स्थापित प्रावधानों के विपरीत होने से संभव नहीं है । जैसा राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में प्रावधानित किया हुआ है। जहां तक प्रश्न अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत नजरसानी का है । राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा नजरसानी में प्रस्तुत बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए अपने निर्णय दिनांक 09.05.2006 से नजरसानी खारिज की गई है जिसमें हम कोई त्रुटि इस स्टेज पर नहीं पाते है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री रिकार्ड एवं विधि के प्रावधानों के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6947/2006/सिरोही **प्रेमसिंह बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुसार सुसंगत प्रतीत होते है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य पायी जाती है । उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2006 यथावत् रखा जाता है । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	